रोशनी कुमार पाठ जमाबंदी चस्पा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ	
	26/8/21 पत्रावली पेश हुई। वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादग्रस्त आवाज जारी गई। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली व उसके कागजात को अनुपस्थिति में वादी व सरपंच ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत में सुनवाई किया जाना है। पत्रावली मौखिक आदेश होकर नस्ती हो रहा। वाद खारिज [illegible] जे.एस.पडोदा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:58:06 IST
Reason: SelfAttested